न्यायालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा

पीठासीन अधिकारी : अचला आर्य (अग्रवाल),आर.जे.एस.

दाण्डिक प्रकरण संख्या– 155/2010

राजस्थान राज्य बनाम सत्यनारायण पुत्र श्री मदन लाल बैरवा नयापुरा पी.एस. लाखेरी जिला बूंदी

..... अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 113/194 एम.वी.एक्ट

उपस्थित :

सहायक लोक अभियोजक प्रथम राज्य की ओर से
श्री ईक्बाल अहमद , अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से

।। निर्णय ।।

दिनांक : 30.01.2016

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 7.4.2010 को एस.एच.ओ.. थाना अलीगढ सुरेन्द्र सिंह ने थाने के सामने दौराने चेकिग ट्रक मे क्षमता से अधिक कुल 31 टन 850 किग्रा. बजरी भरी हुई पाई जिसको एम.वी.एक्ट मे जब्त किया गया और न्यायालय मे चालान धारा113/194 एम.वी.एक्ट में पेश किया।

अभियुक्त को आरोप सारांश अंतर्गत धारा 113/194 एम.वी.एक्ट सुनाया एंव समझाया गया। अभियुक्त ने जुर्म से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

अभियोजन ने साक्ष्य में गवाह पी0ड0 1 नन्दपाल मीणा के बयान लेखबद्ध करवाये। अभियुक्त ने एक प्रार्थना–पत्र जुर्म स्वीकारोक्ति प्रस्तुत कर उन पर लगाये गये आरोप स्वीकार किये जिस पर अभियोजन ने साक्ष्य अभियोजन समाप्त किए जाने का निवेदन करने पर साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गयी।

अभियुक्त के बयान धारा 313 द0प्र0सं0 लिये गये जिसमें गवाहान के बयान को सही होना स्वीकार किया ।

बहस अन्तिम सुनी गयी। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

अब हमारे समक्ष अवधार्य हेतु प्रश्न है कि :

''क्या दिनांक 7.4.2010 को 4.50 ए.एम. पर स्थान थाने के सामने अलीगढ मे मुलजिम मुलजिम के वाहन को चेक करने पर उसमे क्षमता से अधिक बजरी भरी हुई पाईगई। इस प्रकार अभियुक्त ने धारा 113/194 एम.वी.एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध किया है ?''

यदि हां तो अपराध का दण्ड क्या होगा ?

इस संबध में अभियोजन साक्षी गवाह पी.ड. 1 नन्दपाल मीणा का कहना है कि दिनांक 4.7.2010 को थाना अलीगढ पर सिपाही के पद पर तेनात था थानाधिकारी के साथ मय जाब्ते के वास्ते गशत हेतु थाने के सामने खडे थे तो एक ट्रक अलीगढ की तरफ से आया जिसको मय जाब्ते रूकवाया आर उसको जांच किया तो उसमे बजरी भरी हुई थी। थानाधिकारी ने चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सत्यनारायण होना बताया। अनुज्ञान पत्र मांगा तो नहीं होना बताया। मौके पर ट्रक को जब्त किया गया और चालक को गिरफतार किया गया । इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने स्वेच्छा पूर्वक जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थाना पत्र पेश किया है। अतः अभियुक्त को धारा 113/194 एम.वी.एक्ट के अपराध के आरोप मे दोष सिद्ध करार दिया जाता है।

अचला आर्य (अग्रवाल)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा

सजा के बिन्दु पर सुना गया :–

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि अभियुक्त काफी समय से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहा हैं। उसका प्रथम अपराध है । परीविक्षा का लाभ दिया जाने की प्रार्थना की ।सहायक लोक अभियोजक प्रथम ने इसका विरोध किया।

हमने उभय पक्षकारान के विरोधाभासी तर्को को सुना एंव पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोष सिद्ध बाबत कोइ अभिलेख पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्त की लोक अदालत की भावना को देखते हुये अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध कर आदेशानुसार दण्डित किया जाना उचित समझती हूं।

।। आदेश ।।

अभियुक्त सत्यनारायण पुत्र श्री मदन लाल बैरवा नयापुरा पी.एस. लाखेरी जिला बूंदी उनियारा को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 113/194 एम.वी.एक्ट में दोषी करार दिया जाकर परीविक्षा अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत निम्न शर्तो की पालना पर परीविक्षा पर रिहा किया जाता है कि अभियुक्त दौ वर्ष की अवधि के लिए 2000 रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका न्यायालय की सन्तुष्टि का इस आशय का पेश कर प्रमाणित करा देवे कि उक्त अवधि में सदाचारी एंव लोक प्रशान्ति बनाए रखने के लिए निष्पादित कराएगा, अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा एंव आहूत किए जाने पर दण्डादेश भुगतने के लिए उपलब्ध हो जावेगा। प्रकरण में अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते है।

अचला आर्य (अग्रवाल)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा

निर्णय आज दिनांक 30.01.2016 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर मुद्रांकित एंव हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

अचला आर्य (अग्रवाल)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा